



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 129 राँची, बुधवार, 16 फाल्गुन, 1945 (श०)
6 मार्च, 2024 (ई०)

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)

संकल्प

6 मार्च, 2024

विषय:- राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) के अंतर्गत स्थायी रूप से कार्यरत उड़ान अनुदेशक (ग्लाइडर)/उड़ान अनुदेशक प्रभारी (ग्लाइडर) के विशेष भत्तों की स्वीकृति ।

संख्या--ना.वि.-47/02-157--मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) के अंतर्गत झारखण्ड उड़्डयन संस्थान द्वारा ग्लाइडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है जिसमें Glider Pilot License (GPL) के स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उड़ान प्रशिक्षण कार्य में संलग्न स्थायी सरकारी उड़ान अनुदेशकों को अन्य राज्यों की भाँति विशेष भत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव विभाग द्वारा विचाराधीन है ।

2. प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने तथा योग्य प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन देने हेतु अन्य राज्य सरकारों में उन्हें वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते प्रदान करने का प्रावधान है। पड़ोसी राज्य बिहार में भी विमान चालकों तथा प्रशिक्षकों को विशेष भत्ता प्रदान करने हेतु वित्त विभाग द्वारा संकल्प सं.-3/M-25-76/96, दिनांक-22.09.2006 द्वारा दरों का निर्धारण किया गया है।

3. उपर्युक्त को दृष्टिपथ रखते हुए सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) में कार्यरत स्थायी सरकारी उड़ान अनुदेशक (ग्लाइडर)/उड़ान अनुदेशक प्रभारी (ग्लाइडर) को उनके द्वारा संपादित कराये जा रहे प्रशिक्षण उड़ानों हेतु उन्हें विशेष उड़ान भत्ता एवं अन्य भत्तों की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	भत्ते का प्रकार	प्रस्तावित भत्ता (रु. में)
1	Special Flying Allowances (For fixed 35 Hrs. of flying per month)	1,000/- प्रति घंटा
2	Flight Instructor Rating Allowances (Per Month)	1,000/-
3	Radio Telephone License Allowances (Per Month)	1,000/-
4	Single Engine Aircraft Allowances (Per Month)	500/-

4. उपर्युक्त भत्तों में से Special Flying Allowances की दर रु. 1,000/- प्रति घंटा (प्रतिमाह 35 घंटे उड़ान हेतु निश्चित) बिहार राज्य में अनुमान्य दर के बराबर एवं अन्य भत्तों की दर बिहार राज्य में अनुमान्य दर से कम है।

5. उक्त स्वीकृत दरों के लागू होने के फलस्वरूप स्थायी रूप से कार्यरत उड़ान अनुदेशक (ग्लाइडर)/उड़ान अनुदेशक प्रभारी (ग्लाइडर) को उनके मासिक वेतन के अतिरिक्त प्रतिमाह अधिकतम राशि रु. 37,500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र उनके वेतन मद से भुगतये होगी।

6. उपर्युक्त कंडिका-3 में उल्लेखित विशेष भत्तों का लाभ संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

7. उपर्युक्त प्रस्ताव से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक-131, दिनांक-22.02.2024 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-29.02.2024 को संपन्न बैठक के मद संख्या-12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।
